



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप श्वन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या: जी-31/11/1/2005-स्था.3

दिनांक 31.03.2014

ज्ञापन

विषय: क.रा.बी.निगम के कर्मचारियों को 2012-13 के लिए स्वीकार्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में ।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन के परिणामस्वरूप तथा इस कार्यालय के दिनांक 08.10.2003 के ज्ञापन के क्रम में सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा वर्ष 2012-13 के लिए निगम के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस की वर्तमान पद्धति के आधार पर तैयार किए गए 60(साठ) दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम 7000/-रु. (सात हजार रुपए) तक उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान के अनुमोदन की सूचना देते हैं।

तदनुसार कर्मचारियों को पहले ही अदा किए गए अग्रिम को समायोजित किया जाए एवं कोई रकम वसूल नहीं की जाए और वचनबंध को बातिल और शून्य समझा जाए ।

तथापि उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें अग्रिम अदा नहीं किया गया है, उत्पादकता संबद्ध बोनस की वर्तमान पद्धति के आधार पर तैयार वर्ष 2012-13 के लिए 60(साठ) दिनों के वेतन के बराबर, बशर्ते कि 7000/-रु. से अधिक न हो, उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की कार्रवाई आरंभ की जाए ।

उत्पादकता संबद्ध बोनस को शासित करने वाले अन्य निबंधन एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

(एस.के. सिन्हा)
निदेशक

प्रति,

1. महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/सभी प्रभागीय प्रमुखों के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त(राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, स्था.5, मुख्यालय/क.रा.बी.निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक/ अपर आयुक्त(वित्त),क.रा.बी.निगम, मुख्यालय को सूचनार्थ
4. सभी संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) ।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस ज्ञापन को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें ।